मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
Tel. No. : (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail : ceomprrda@gmail.com

क्रमांक : 15487 /FA/2017 भोपाल, दिनांक : 23/06/2017

प्रति,

1. संभागीय आयुक्त (समस्त)
   मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यों के अंतिम देयकों के भुगतान के पूर्व कलेक्टर (खनिज) कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समय–सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में।

--00--

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत क्रियान्वित निर्माण कार्यो के अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व निर्माण अभिकरण (Construction Agency) द्वारा प्रस्तुत किये गये रॉयल्टी भुगतान की रसीद/देयकों का कलेक्टर (खनिज) कार्यालय से सत्यापन किये जाने की व्यवस्था प्रचलन में है। कतिपय जिलों में उक्त सत्यापन में हो रहे अनावश्यक विलंब के दृष्टिगत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 09.06.2017 के ऐजेण्डा बिंदु कमांक 54/12 में यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित पीआईयू के महाप्रबधंक द्वारा ऐसे रॉयल्टी भुगतान की रसीद/देयक सत्यापन के लिये कलेक्टर (खनिज) कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने के 90 दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाये। समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिये जाने पर महाप्रबधंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा अनापत्ति मान्य करते हुये निर्माण अभिकरण के अंतिम देयक का निराकरण कर दिया जावेगा।

अनुरोध है कि कार्यालय की खनिज शाखा को निर्देशित करने का कष्ट करें कि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले ऐसे प्रकरणों का निराकरण 90 दिन की समयावधि में अनिवार्यतः करें।

(नीतेश व्यास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल

पृ.क. 15488 / 22 / वि–12 / ग्रा.स. /   भोपाल दिनांक 23 / 06 / 2017

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, म.प्र. शासन, खनिज विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. गार्ड फाइल के लिये प्रतिलिपि।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल